"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 जनवरी 2007—पौष 22, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2007

क्रमांक ई-1-21/2003/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1998 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारी को, आवंटन वर्ष से नौ वर्ष की सेवा दिनांक 1-1-2007 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा. प्र. से. (वेतन) नियम, 1954 के नियम 3(1) के परन्तुक के अंतर्गत, उक्त तिथि (1-1-2007) से सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (रु. 12750-375-16500) में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :-

स. क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना
1.	श्री एस. के. राजू, (सीजी : 1998)	कलेक्टर, रायगढ़

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

क्रमांक 1390/1085/2006/1-8/स्था.—श्री जी. डी. गुप्ता, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 15-1-2007 से 27-1-2007 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. डी. गुप्ता को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. डी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

क्रमांक 1392/1075/2006/1-8/स्था.—श्री बी. एल. अहिरवार, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 11-12-2006 से 15-12-2006 तक 5 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. अहिरवार को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एल. अहिरवार अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, वन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

क्रमांक 1394/1078/2006/1-8/स्था.—श्री एम. एम. मिंज, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 26-12-2006 से 2-1-2007 तक 8 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एम. मिंज को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. एम. मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

क्रमांक 1396/1033/2006/1-8/स्था.—श्री एच. पी. किण्डो, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 6-11-2006 से 13-11-2006 तक 8 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एच. पी. किण्डो को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. पी. किण्डो अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. मंधानी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2006

क्रमांक/5286/बी-14/21/2006/14-2.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 के अधीन जारी किये गये 'दि सीड्स (कंट्रोल) आर्डर, 1983' के खण्ड 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3667/बी-14/21/2003/14-2, दिनांक 26-04-2003 में, एतद्द्वारा, निम्न संशोधन करती है :-

1. उपरोल्लेखित अधिसूचना में अंकित शब्दों "परियोजना कार्यपालन अधिकारी, रायपुर" को शब्दों "उप संचालक कृषि, रायपुर" से प्रतिस्थापित किया जाता है.

Raipur, the 15th December 2006

No./5286/B-14/21/2006/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause-11 of the Seeds (Control) Order, 1983 issued under Section 3 of the Essential Commodity Act, 1955 (No. 10 of 1955), the State Government hereby; amends Agriculture Department notification No./3667/B-14/21/2003/14-2/ dated 26-4-2003, namely :-

1. in the above said notification the words "Project Executive Officer, Raipur" shall be substituted by the words "Deputy Director of Agriculture, Raipur."

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2006

क्रमांक/5288/बी-14/21/2006/14-2.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 के अधीन जारी किये गये 'दि सीड्स (कंट्रोल) आर्डर, 1983' के खण्ड 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक/1079/बी-14/21/2001/14-2, दिनांक 11-10-2001 में, एतद्द्वारा, निम्न संशोधन करती है :-

1. उपरोल्लेखित अधिसूचना में अंकित शब्दों "आंचलिक प्रबंधक, कृषि जलवायु क्षेत्रीय परियोजना (संयुक्त संचालक कृषि)" को शब्दों "संभागीय संयुक्त संचालक कृषि" से प्रतिस्थापित किया जाता है.

Raipur, the 15th December 2006

No./5288/B-14/21/2006/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause-16 of the Seeds (Control) Order, 1983 issued under Section 3 of the Essential Commodity Act, 1955 (No. 10 of 1955), the State Government hereby amends Agriculture Department notification No./1079/B-14/21/2001/14-2/ dated 11-10-2001, namely :-

1. in the above said notification the words "Zonal Manager, Agro-Climatic Zone (Joint Director of Agriculture)" shall be substituted by the words "Divisional Joint Director of Agriculture."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रताप कृदत्त, उप-सचिव.

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

क्रमांक एफ-1-10/दो (तीन-जेल) 2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा जेल नियमावली के नियम 815(1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कु. शिल्पा पाण्डेय अंबिकापुर को 03 वर्ष के लिए केन्द्रीय जेल अंबिकापुर के लिए अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. वर्मा, अवर सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2006

क्रमांक एफ 5-17/खाद्य/2004/29.—विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 3944/डी-930/21-ब/छ. ग./05, दिनांक 29-4-05 द्वारा श्री टी. सी. यदु, की सेवाएं रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर इस विभाग को सौंपी गई थी.

2. विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्र. 14055/डी-3092/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 11-12-2006 द्वारा श्री टी. सी. यदु की सेवाएं इस विभाग से वापिस लेकर उन्हें कुटुम्ब न्यायालय, रायगढ़ में न्यायाधीश के पद पर पदस्थ किया गया है.

3. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश के अनुपालन में श्री टी. सी. यदु, रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर की सेवाएं तत्काल प्रभाव से विधि एवं विधायी कार्य विभाग को वापिस सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, विशेष सचिव

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 14 दिसम्बर 2006

प्रकरण क्रमांक 9/अ-82-2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	देवसरा प. ह. नं. 4	64.577	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली, जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	देवसरा जलाशय योजना के बांधपार, डुबान क्षेत्र एवं स्पील चैनल से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि वोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 21 अगस्त 2006

रा. प्र. क्र. 8 अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	रवीन्द्रनगर	1.425	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, सरगुजा (छ. ग.)	महावीरपुर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.
		संजयनगर	0.055		
		योग	**1.480**		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	जोरापाली प. ह. नं. 11	68.219	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ (छ. ग.)	औद्योगिक स्थापना हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	धनागर प. ह. नं. 11	10.397	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ (छ. ग.)	औद्योगिक स्थापना हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अप्रैल 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/221.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	गुचकुलिया	0.312	कोर्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	गुचकुलिया माइनर (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 नवम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 09/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मोंहदीकला प. ह. नं. 01	0.097	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	सपनई सेतु पहुंच मार्ग

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 01/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	पनारी प. ह. नं. 4	0.372	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मु. चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा.	देवरीपाली जलाशय हेतु (डूबान)

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 दिसम्बर 2006

क्रमांक 187/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	गढ़गोढ़ी प. ह. नं. 7	0.052	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्रमांक 5, खरसिया.	गढ़गोढ़ी उपवितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

क्रमांक/क/वा.-भू-अ./आ. वि. अ./प्र. क्र. 20-अ 82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	मंदिर हसौद प. ह. नं. 73/14	3.254	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1, रायपुर.	जोरा - सड्डू धनेली (बायपास क्र. तीन) रायपुर का निर्माण हेतु भू-अर्जन.

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

क्रमांक/क/वा.-भू-अ./आ. वि. अ./प्र. क्र. 29-अ 82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	आमासिवनी प. ह. नं. 110/83	3.291	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1, रायपुर.	जोरा - सड्डू धनेली (बायपास क्र. तीन) रायपुर का निर्माण हेतु भू-अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 14 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 7 अ 82-04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-पण्डरिया

(ग) नगर/ग्राम-पाण्डातराई, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.82 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
18/3, 18/5	0.06
2/1, 2/3	0.06
2/2, 16/1	0.03
18/2	0.07
18/1	0.04
3/3	0.04
4/1	0.03
5/7	0.04
5/6	0.02
5/5	0.04
14	0.09
38	0.08
13	0.12
55/1	0.05
55/1	0.05
12	0.03
11/2	0.02
11/1	0.02
10/3	0.02
90/2	0.03
10/2	0.03
90/7	0.04
91/4	0.06
91/2, 91/6	0.04
10/1	0.02
97/4	0.04
97/3	0.03
91/1	0.05
97/2	0.03
97/1	0.04
93	0.03
111/3	0.04
101/3, 108/3	0.07
108/4	0.04
164, 165/1	0.10
163	0.07
107/2	0.04
246/1, 245/1	0.03
245/3, 246/3	0.03
241	0.09
168/2	0.07
169	0.09
240	0.07
239/2	0.04
239/1	0.03
239/3	0.05
238	0.08
235	0.06
302/30	0.38
302/19	0.13
302/1	0.13
302/11	0.11
302/9	0.03
302/24	0.07
302/24 क	0.07
302/24 ख	0.04
222/2	0.07
222/3	0.03
302/23	0.11
302/29	0.06
225	0.09
229/2	0.05
230	0.04
231/2	0.04
231/8	0.02
योग 64	3.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पाण्डातराई से मड़मड़ा सड़क निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 14 दिसम्बर 2006

प्र. क्र. 51 अ 82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-कवर्धा

(ग) नगर/ग्राम-भिंभौरी, प. ह. नं. 55

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.206 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
59/1	0.056
59/2	0.088
293/1	0.036
61/2, 3, 4	0.160
62/1	0.057
63/1	0.069
63/2	0.137
52/6	0.032
52/2	0.024
52/7	0.004
52/14	0.009
52/17	0.032
52/15	0.038
52/18	0.004
53/2	0.020
53/3	0.121
53/4	0.020
339/1	0.020
72	0.226
256	0.080
328	0.040
258	0.214
259	0.089
261/1	0.105
291/1	0.008
261/2	0.016
291/2	0.068
286/2	0.105
289	0.137
290/2	0.024
290/3	0.024
300/1, 2	0.105
301/1	0.040
387/1	0.004
361	0.020
387/4	0.089
301/3	0.040
301/4	0.048
304	0.145
305	0.042
330/3, 5, 6	0.093
331	0.121
332/1	0.178
332/3	0.089
332/4	0.105
333/1	0.024
333/2	0.016
338/1	0.072
338/2	0.101
342/1	0.008
342/2	0.016
292/2	0.072
357/1	0.101
362	0.093
364	0.150
384/4	0.040
384/3	0.004
385/1	0.061
386	0.065
391/3	0.080
391/4	0.009
392/26	0.057
392/21	0.060
392/27	0.040
392/28	0.032
394	0.012
61/1	0.207
62/3	0.016
57/3	0.016
57/5	0.018
57/1	0.141
52/5	0.028
61/5	0.040
66/1	0.227
66/2	0.081

(1)	(2)
66/3	0.089
66/4	0.101
66/5	0.081
65/2	0.105
67/1	0.441
67/2	0.097
341/2	0.045
341/3	0.130
343	0.068
360/8	0.056
360/1, 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17	0.136
365/2	0.060
391/2	0.113
330/4	0.024
294	0.283
69/1, 2	0.065
329/1	0.057
385/3	0.008
301/2	0.114
302/2, 3, 4	0.060
387/3	0.004
योग 96	7.206

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सुतियापाट परियोजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 14 दिसम्बर 2006

प्र. क्र. 52 अ 82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-कवर्धा

(ग) नगर/ग्राम-रक्से, प. ह. नं. 52

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.656 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
168/2	0.016
170/4	0.020
168/11	0.093
170/3	0.020
168/1	0.121
170/1	0.073
168/9	0.020
168/10	0.020
170/2	0.028
168/6	0.093
178	0.146
177	0.150
179	0.053
185/1	0.150
185/2	0.053
210	0.057
304	0.069
569	0.121
211	0.097
209	0.077
234	0.016
208/1	0.085
208/3	0.061
208/4	0.016
424/2	0.113
208/5	0.053
267/1	0.028
267/2	0.036
267/3	0.113
427/1	0.097
237	0.024
266/2	0.299
266/4	0.028
266/6	0.020
266/9	0.008
282/1	0.055
283/4	0.105
284	0.032
285/2	0.157
286	0.134
307	0.226
306	0.104
305	0.036
312/2	0.182
314	0.012
313/1	0.024

(1)	(2)
313/3	0.214
313/2	0.008
325/1	0.121
325/2	0.077
437/2	0.192
328/1	0.081
328/2	0.101
330	0.020
428	0.222
427/2	0.073
426/1	0.117
426/2	0.061
421/2	0.012
425/1	0.028
423/1	0.178
421/3	0.129
422/1	0.129
422/2	0.012
423/2	0.012
571	0.259
417/1	0.049
542/5	0.008
570/1	0.154
570/2	0.008
572/2	0.008
572/1	0.040
572/3	0.020
582	0.210
567	0.020
585/2	0.101
585/3	0.032
585/1	0.134
586/1	0.008
586/3	0.081
586/2	0.101
587/2	0.061
437/1	0.186
437/3	0.020
173	0.008
219	0.158
225/1	0.105
225/3	0.105
225/2	0.081
226/3	0.109
226/1	0.073
226/2	0.016
491/5	0.129
491/12	0.089
491/2	0.077

(1)	(2)
492/1	0.045
492/2	0.053
492/3	0.053
493/2	0.061
494	0.134
498/2	0.065
498/4	0.061
498/5	0.065
499/1	0.064
499/3	0.105
499/5	0.154
499/2	0.170
507/2	0.255
507/4	0.129
507/3	0.101
508/10	0.113
508/11	0.113
508/12	0.105
508/13	0.117
494	0.348
495	0.045
496	0.222
488/1	0.081
488/6	0.109
488/3	0.049
488/8	0.060
489	0.053
486/2	0.073
485/1	0.061
485/4	0.045
485/2	0.049
476/9	0.081
476/4	0.101
484/1	0.028
479/1	0.077
479/2	0.069
446/1	0.154
446/2	0.117
537/1	0.093
योग 134	11.656

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सुतियापाट परियोजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

क्रमांक/10175/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-राजनांदगांव
   (ख) तहसील-डोंगरगांव
   (ग) नगर/ग्राम-सेवंताटोला, प. ह. नं. 14
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.489 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
15	0.117
16/1+2	0.089
18	0.093
19/1	0.040
19/2	0.093
20/1	0.049
20/2	0.008
योग 7	0.489

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - डोंगरगांव जामसरार मार्ग पर सूखानाला सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

क्रमांक/10176/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-राजनांदगांव
   (ख) तहसील-डोंगरगांव
   (ग) नगर/ग्राम-जामसरारकला, प. ह. नं. 15
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.940 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
195	0.697
197	0.243
योग	0.940

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- डोंगरगांव जामसरार मार्ग पर सूखानाला सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 21 अगस्त 2006

क्रमांक 8 अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-रवीन्द्रनगर, प. ह. नं. 36

ग्राम-संजयनगर, प. ह. नं. 36

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.425 हे. + 0.055 =1.480

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	रवीन्द्रनगर	
	312/1	0.14
	313	0.02
	316/2	0.14
	319	0.11
	321	0.10
	325	0.155
	354	0.21
	361	0.27
	368	0.10
	371	0.08
	355	0.06
	356	0.04
योग	12	1.425
	ग्राम-संजयनगर	
	241/1	0.055
योग		0.055
कुल योग		1.480

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महावीरपुर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 12/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मुंगेली

(ग) नगर/ग्राम-देवरी, प. ह. नं. 31

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.162 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	161, 165, 166	0.016
	167, 168, 169, 170, 171, 172	0.146
योग	2	0.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पथरिया व्यपवर्तन योजना के पेटूलकापा शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 14/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-जरेली, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.109 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10/4	0.057
10/3	0.053
योग 2	0.109

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पथरिया व्यपवर्तन योजना के जरेली शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 15/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-दलपुरवा, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.590 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
96	0.170
100	0.073
84	0.101
85/1	0.012
85/2	0.016
106/2, 108, 109	0.206
111	0.008
94	0.004
योग 8	0.590

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पथरिया व्यपवर्तन योजना के जरेली शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 17/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-दलपुरवा, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.498 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
55, 56	0.045
60/3	0.073
52, 54	0.028
57, 58, 70	0.081
60/1	0.072
62/3, 63/3, 64/3, 65/3	0.182

(1)	(2)
62/1, 63/1, 64/1, 65/1	0.008
योग 8	0.498

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पथरिया व्यपवर्तन योजना के पेट्रूलकापा शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 18/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-देवरी, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.914 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
30	0.020
31	0.150
32/1	0.008
32/2	0.097
28/2	0.081
33, 38	0.061
40/2, 41/2, 42/2, 43/2, 44/2, 45/2, 46/2	0.214
40/4, 41/4, 42/4, 43/4, 44/4, 45/4, 46/4	0.190
40/3, 41/3, 42/3, 43/3, 44/3, 45/3, 46/3	0.093
योग 9	0.914

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पथरिया व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 19/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-जुनवानी, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.089 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
277/2	0.081
277/3	0.008
योग 2	0.089

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पथरिया व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 27/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-किरना, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.023 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	393	0.073
	342/1	1.238
	322	0.020
	337/2	0.166
	339/1	0.012
	338	0.146
	339/2	0.121
	339/4	0.157
	340	0.093
योग	9	2.023

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टेसूवा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 30/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-भठली, प. ह. नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.597 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	612	0.041
	615, 616	0.049
	620/22	0.097
	620/11	0.126
	620/25	0.045
	620/20	0.113
	620/13	0.126
योग	7	0.597

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टेसूवा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 32/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-बरछा, प. ह. नं. 37
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.591 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
80, 81	0.77
79/1	0.073
89/2	0.024
78/1	0.045
77	0.045
76	0.057
75	0.053
13, 74	0.069
73/5	0.028
73/4	0.028
73/3	0.036
73/2	0.057
योग 12	0.591

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टेसूवा व्यपवर्तन योजना के केवईया शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 33/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-केंवईया, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.875 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
376, 377, 378	0.194
328, 388, 389, 392, 393	0.308
383/2, 384/2	0.073
385, 386, 395/1	0.300
योग 4	0.875

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टेसूवा व्यपवर्तन योंजना के केवईया शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 34/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-परसदा, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.591 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
248/2	0.150
255	0.222
249	0.036
250	0.028
251	0.028
252/1	0.016
252/2	0.016
254/1	0.045
254/2	0.049
योग 9	0.591

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टेसूवा व्यपवर्तन योजना के केवईया शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/वा./भू-अ./अ. वि. अ./प्र. क्र./43/अ-82/वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-तिल्दा
- (ग) नगर/ग्राम-देवगांव, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.41 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	125/19	0.34
	125/18	0.75
	125/4	0.57
	125/2	0.13
	131	0.62
योग	5	2.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-मढ़ी वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2006

क्रमांक/क/वा./भू-अ./अ. वि. अ./प्र. क्र./44/अ-82/वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-तिल्दा
- (ग) नगर/ग्राम-सोनतरा, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.29 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	579	0.06
	297/2	0.32
	297/1	0.02
	297/4	0.08
	296/2	0.18
	296/1	0.85
	293/12, 293/13, 293/18	0.75
	290/3	0.58
	290/2	0.07
	290/8	0.23
	290/1	0.15
योग	11	3.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-मढ़ी वितरक नहर हेतु अर्जित की जा रही भूमि अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2006

क्रमांक अ. वि. अं. भू-अर्जन/प्र. क्र. 10 अ/82, वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-पलारी

(ग) नगर/ग्राम-तेलासी, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-33.500 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1593/1	0.332
2134/1	0.342
2136/1	0.208
2136/2	0.072
388	0.390
1067	0.202
1107/2	0.162
1068	0.295
1057	0.020
1062	0.012
1455/1	0.077
1459	0.020
2101	0.429
1454	0.004
1440	0.121
2135	0.134
868/1	0.008
1105	0.032
1073	0.355
870/11	0.110
1070	0.125
1071, 1072	0.101
1076	0.175
1069	0.040
1099	0.052
1074	0.085
1079	0.101
1078	0.081
1085	0.036
1575	0.089
1046/2	0.093
1142/1	0.258
1082	0.036
1595/1	0.532
389/1	0.135
384/2, 386/1	0.040
381	0.008
2096/1	0.145
2097	0.051
2117	0.142
2124	0.160
2125	0.165
1038	0.255
390	0.180
1390	0.032
436/1, 2, 3	0.081
1589	0.194
1084	0.130
1592	0.372
396/2	0.501
392/1	0.182
393/3	0.020
397/1	0.089
398/1	0.208
402/1, 403	0.387
392/2	0.008
402/2, 403	0.387
397/2	0.174
398/2	0.222
1051	0.320
891	0.502
829	0.336
835	0.125
1446/2	0.152
411/1	0.165
2108	0.069
2109	0.069
870/2	0.101
393/2	0.640
1591	0.276
1599/3	0.216
1049	0.032
1452	0.168
870/3	0.405
1593/2	0.330
377/1	0.048
378/1	0.020
1457	0.073
1447/1	0.020
2110/1, 2	0.397
837/1	0.506
1064/2	0.101
1095	0.084
1451	0.012

(1)	(2)	(1)	(2)
880/6	0.020	1455/1	0.012
870/10	0.575	1456	0.077
882/2	0.464	1458	0.158
1587	0.012	1066	0.061
1081	0.057	1064/1	0.106
371	0.114	1107/3	0.162
372	0.161	834/1	0.105
2114/2	0.065	870/1	0.604
2093/1	0.012	407	0.214
2100/2	0.008	408	0.146
1075	0.101	409	0.125
1595/15	0.178	410	0.206
831	0.020	412	0.016
833	0.101	1046/1	0.246
1047	0.445	1106	0.052
405/2	0.090	892	0.040
1438/1	0.083	1399	0.146
368	0.288	1404	0.279
1595/14	0.267	836	0.032
2105/2	0.202	1063	0.113
2115	0.109	383	0.012
1438/2	0.083	1724/1	0.232
1444	0.105	1216	0.384
1445	0.086	1048	0.060
870/33	0.636	832, 3200	0.303
384/1, 386/1	0.401	2106	0.036
389/4	0.279	832	0.182
1588	0.116	1392	0.061
1590	0.405	1395	0.117
834/2	0.360	1397	0.045
1080	0.072	1401	0.052
1077/1	0.103	1402	0.121
377/20	0.016	1425	0.045
2111/1	0.125	1424	0.041
2111/2	0.040	2137	0.008
1065	0.174	1393	0.080
1064/3	0.101	2107	0.178
1396	0.154	830	0.161
1400	0.125	2096/2	0.062
1403	0.097	2134/2	0.405
1439	0.095	1437	0.048
366/2	0.194	382/1	0.458
366/3	0.320	2114/1	0.044
389/3	0.040	2136/3	0.172
1448	0.126	373	0.069
1453	0.097	1724/2	0.136

(1)	(2)
1218/3	0.160
366/1	0.120
366/4	0.149
367	0.156
1446/1	0.212
1447/1	0.152
1447/2	0.152
1077/2	0.103
385, 386/2	0.178
1405	0.085
1434	0.080
1394	0.129
1398	0.036
2133	0.140
406	0.390
2105/1	0.120
1599/1	0.264
434	0.110
1594	0.089
1723/2	0.048
1391	0.052
391	0.101
2098	0.134
2099	0.085
2102	0.092
1722	0.012
393/1	0.088
870/6	0.405
870/9	0.202
870/30	0.324
870/31	0.130
873/32	0.404
योग 214	33.500

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजीव संवर्धन (स्पोंदा व्यपवर्तन) योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2006

क्रमांक अ. वि. अ. भू-अर्जन/प्र. क्र. 12 अ/82, वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायपुर
   (ख) तहसील-पलारी
   (ग) नगर/ग्राम-सुन्द्रावन, प. ह. नं. 29
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.200 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1155/2	0.101
1167/2	0.160
1184/23	0.080
638	0.060
1184/22	0.203
1184/46	0.040
1172, 1173/2	0.178
1184/28 क	0.105
1184/36/1	0.186
1184/24	0.260
1172, 1173/4	0.177
1171/1	0.010
1184/58	0.203
1184/30 क	0.141
1184/30 ख	0.140
1184/32	0.080
1170/1	0.344
1155/1	0.101
1167/1	0.162
1184/35	0.405
1184/28 ख	0.405
1169	0.193
1172, 1173/3	0.178
1184/29	0.140
1184/20	0.121
1184/21	0.604

(1)	(2)
1172, 1173/5	0.090
1184/27	0.203
1184/26	0.010
1157	0.061
1158/1	0.063
1168	0.132
1170/2	0.324
1184/65	1.002
1184/34	0.202
1184/31	0.101
1184/36/2	0.180
1158/4	0.010
1166	0.040
योग 39	7.200

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

क्रमांक /अ. वि. अ. भू-अर्जन/प्र. क्र. 21 अ/82, वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-धनेली, प. ह. नं. 98
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.503 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
302/6	0.206
311/1, 311/2	0.189
310	0.277
302/10	0.150
302/4	0.036
309/1, 309/2	0.429
306	0.042
307, 354/3	0.136
308	0.587
325	0.146
326/2, 327/1	0.125
326/4	0.150
326/1	0.016
326/3, 327/2	0.202
326/5, 327/3	0.083
384	0.058
385/1	0.047
369/4	0.157
369/3	0.157
369/2	0.157
366/19	0.056
366/20	0.097
योग 28	3.503

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जोरा-सड्डू-धनेली (बायपास क्र. -3) रायपुर का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

क्रमांक /अ. वि. अ. भू-अर्जन/प्र. क्र. 22 अ/82, वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गिरौद, प. ह. नं. 98
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.511 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
689/1	0.020
691	0.215
692	0.061
694/1, 2	0.049
695/2	0.022
690	0.101
544/3	0.004
544/1, 544/2, 545, 547, 548/2, 557/2, 557/3, 557/4	2.189
562	0.061
575/1	0.332
575/2	0.005
577/1	0.040
577/2	0.018
577/5	0.020
450/1	0.006
451/8	0.040
451/3	0.089
451/6	0.024
495/3, 4	0.282
489/1, 2, 491/1, 492/1, 495/1, 496/1, 498/1	0.069
489/3, 491/2, 492/2, 495/6, 496/4, 498/4	0.446
498/2	0.151
499/1	0.221
501/2	0.190
502/1	0.136
503/1, 2	0.070
508/2	0.081
506/1	0.090
508/3	0.089
509/1, 2, 4	0.132
509/3	0.106
573/1, 573/2, 574/1, 574/2	0.551
572/1	0.660
571/3	0.061
571/7	0.162
579/11	0.122
571/14	0.428
571/1	0.010
571/2	0.158
योग 65	7.511

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जोरा-सड्डू-धनेली (बायपास क्र. -3) रायपुर का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006.

क्रमांक /अ. वि. अ. भू-अर्जन/प्र. क्र. 23 अ/82, वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पिरंदा, प. ह. नं. 111
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.955 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
69/2	0.012
73	1.966
71/3	0.012
122	0.012
123	0.040

(1)	(2)
124	0.045
118/4	0.324
118/15	0.324
118/3	0.040
90/2, 91/2, 97/2	0.303
90/3, 91/3, 97/3	0.809
94/5	0.036
95/1	0.081
95/2	0.061
95/3	0.061
95/4	0.053
96/1, 96/2	0.049
96/4	0.353
511, 513, 516/4	0.121
516/3	0.364
516/2	0.008
516/1	0.125
517/2	0.567
517/1	0.648
518	1.315
596	0.202
598/1	0.024
योग 33	7.955

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जोरा-सड्डू-धनेली (बायपास क्र. -3) रायपुर का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

क्रमांक /अ. वि. अ. भू-अर्जन/प्र. क्र. 24 अ/82, वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-टेकारी, प. ह. नं. 97
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.005 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
66/1	0.008
67/2, 67/9	0.242
67/3	0.223
67/5	0.065
67/4	0.081
67/12	0.061
67/10	0.016
67/11	0.020
87/3	0.130
87/4	0.061
87/1	0.550
444/1	0.008
86	0.162
459	0.538
88	0.060
457/2	0.081
457/1	0.008
456	0.040
460	0.008
461	0.324
85/2, 462/2	0.254
462/6, 8	0.202
462/7	0.020
469/2	0.121
469/5	0.065
467/1	0.142
467/2	0.060
467/7	0.129
467/3	0.129
463/4, 467/4	0.008
467/5	0.162
468	0.089
463/5, 566	0.303
477/5	0.021
675/1	0.048
676/3	0.097

(1)	(2)
677/1	0.190
677/3	0.229
677/4	0.024
663/1	0.137
663/2	0.040
664/1	0.170
664/2	0.324
665/1	0.048
660/1	0.295
660/2	0.153
661/2	0.024
658/4	0.178
658/1	0.567
658/6	0.065
658/7	0.202
658/2	0.274
658/3	0.121
657/3	0.048
659/2	0.024
631/3	0.060
631/4	0.324
631/5	0.405
631/6	0.162
631/8	0.405
योग 63	9.005

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जोरा-सड्डू-धनेली (बायपास क्र. -3) रायपुर का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

क्रमांक /अ. वि. अ. भू-अर्जन/प्र. क्र. 27 अ/82, वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-परसुलीडीह, प. ह. नं. 96
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.115 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
290/1	2.114
290/2	0.169
290/3	1.107
325/1	0.547
325/1	0.162
325/4	0.016
योग 6	4.115

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जोरा-सड्डू-धनेली (बायपास क्र. -3) रायपुर का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

क्रमांक /अ. वि. अ. भू-अर्जन/प्र. क्र. 28 अ/82, वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बरौदा, प. ह. नं. 96
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.519 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
35	0.097
36/1	0.170
36/2	0.121
37/1	0.142
37/2	0.101
37/3	0.020
38/1	0.186
38/2	0.130
40	0.057
41/2	0.117
42/1, 2	0.304
43/1	0.166
45/1	0.190
44/2, 44/3, 50/2	0.089
50/1	0.012
51	0.340
53/7	0.219
52/3	0.117
53/5	0.117
53/1	0.923
58/1	0.049
58/2	0.008
57/1	0.430
57/2	0.288
68	0.534
66/6	0.130
66/2	0.028
66/3	0.109
66/1	0.296
293/1	0.146
295/1	0.109
295/5	0.040
295/4	0.089
294/1	0.146
295/3	0.053
294/2	0.243
300/3	0.324
300/1	0.121
300/2	0.348
316/4	0.138
316/2	0.045
316/3	0.085
317/1	0.040
317/2	0.247
317/3	0.385
347/2	0.154
347/4	0.138
346/2	0.170
345	0.308
342/3	0.089
342/10	0.275
342/7, 342/8, 342/5, 342/12, 403/4, 403/6	0.496
341/3, 369/1, 369/2, 403/1, 404/6	0.335
356/5, 357/5, 358/5	0.073
367	0.770
366/1, 366/2, 366/6, 373/1, 373/2, 372/1	0.494
405/5, 405/6	0.259
405	0.575
405/2, 405/8	0.065
414	0.075
413/4, 415	0.158
417	0.146
368	0.260
418	0.016
योग 86	13.519

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जोरा-सड्डू-धनेली (बायपास क्र. -3) रायपुर का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का रीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

क्रमांक /अ. वि. अ. भू-अर्जन/प्र. क्र. 30 अ/82, वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-रायपुर

(ग) नगर/ग्राम-कचना, प. ह. नं. 83/110

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.434 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1110/5	0.070
1190/2	0.332
1190/5	0.032
योग 3	0.434

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जोरा-सड्डू-धनेली (बायपास क्र. -3) रायपुर का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

क्रमांक/अ. वि. अ. भू-अर्जन/प्र. क्र. 31 अ/82, वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-रायपुर

(ग) नगर/ग्राम-सकरी, प. ह. नं. 111

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.949 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
375	0.032
376/3	0.279
372	0.971
369	0.077
365, 370	0.275
371	0.089
362	0.121
361	0.045
363	0.263
360	0.016
364/1	0.303
358	0.283
349	0.012
341/3, 4	0.202
348	0.020
344	0.012
341/5, 6	0.202
341/1	0.146
341/2	0.384
343	0.012
341/6, 402/11	0.287
323/3	0.064
402/10	0.012
402/12	0.235
323/2	0.303
402/2, 9	0.020
323/1	0.202
322	0.142
312	0.032
408	0.182
409/2	0.304
416	0.360
415/1	0.125
415/2	0.020
419/1	0.222
419/2	0.284
419/4	0.125
420	0.303
427/2	0.182
427/1	0.012
421/3	0.329
423	0.125
436/1	0.040
437/1	0.146
437/2	0.138
438/2	0.186
438/4	0.093
438/5	0.016
425/2	0.061

(1)	(2)
425/1	0.372
440/2	0.198
441/2	0.085
योग 57	8.949

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जोरा-सड्डू-धनेली (बायपास क्र. -3) रायपुर का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

क्रमांक /अ. वि. अ. भू-अर्जन/प्र. क्र. 32 अ/82, वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तुलसी, प. ह. नं. 111
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.951 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
122/9	0.085
122/5	0.121
122/15, 123/4	0.166
122/7	0.133
249/2	0.380
250/1	0.477
250/2	0.303
251/1	0.307
252/5, 273/6	0.129
275/1	0.020
252/1	0.526
252/3	0.150
253	0.016
255	0.341
252/2, 273/1	0.137
256/2	0.142
256/1	0.020
272/1	0.008
272/2	0.008
272/3	0.012
272/4	0.021
257/2	0.121
257/1	0.279
258/1	0.105
426/2	0.012
426/1	0.024
426/3	0.125
425/2	0.186
430	0.081
431	0.049
424/1	0.156
424/2	0.136
422/1	0.016
425/1	0.101
423/1	0.648
410	0.016
423/2	0.012
411	0.162
412	0.223
409/1	0.203
409/2	0.142
408/2	0.008
406	0.230
404/1, 2, 3, 4	0.049
407/1	0.008
399/2	0.607
488/3	0.085
488/2	0.190
501, 502/2	0.405
492/1, 493/4	0.360
495	0.243
494/1	0.024
494/2	0.049
1294	0.061
1295	0.202
1296	0.251
1297	0.020

(1)	(2)
1298	0.105
1276	0.125
1277/1	0.162
1284	0.405
1285/1	0.121
1290	0.242
1262/2	0.142
1262/3	0.093
1291/1	0.105
1291/2	0.170
1355/1, 2, 3, 4	0.194
1361	0.093
1360/1	0.097
1360/2	0.093
1359/1	0.041
1359/2	0.081
1358	0.267
1357	0.397
1365/1, 2, 4, 11	0.607
1365/7	0.182
1365/9, 1365/15	0.182
1365/8	0.040
1330	0.405
1329/2, 3, 4	0.061
1329/5	0.061
1328	0.065
1327/1	0.162
1327/2	0.162
योग 101	13.951

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जोरा-सड्डू-धनेली (बायपास क्र. -3) रायपुर का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय रायपुर विकास प्राधिकरण

शास्त्री चौक, रायपुर (छत्तीसगढ़)

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2007

प्रारुप तेरह

(नियम 18 देखिये)

नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी

क्र. 02/मिस./तक. शा./2000/43/II.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है तथा प्रकाशित किया जाता है कि रायपुर विकास प्राधिकरण ग्राम टिकरापारा एवं ग्राम पुरैना, अमलीडीह तथा रायपुर एवं ग्राम पंडरीतराई तथा फाफाडीह के अंतर्गत कटोरातालाब योजना एवं देवेन्द्रनगर योजना के संबंध में नगर विकास स्कीम तैयार करने का आशय रखता है.

चर्तुसीमा निम्नानुसार है :-

कटोरातालाब योजना

उत्तर : ग्राम टिकरापारा और रायपुर खास का सरहद

पश्चिम : ग्राम टिकरापारा ख. नं. 287, 288, 289, 283 तथा ग्राम टिकरापारा एवं रायपुर खास का सरहद

दक्षिण : रायपुर धमतरी राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्राम टिकरापारा ख. नं. 248

पूर्व : छोटी नहर ग्राम टिकरापारा का ख. नं. 36 एवं अमलीडीह, पुरैना नहर की सरहद

देवेन्द्रनगर योजना

उत्तर : फाफाडीह से नई गंज मंडी रोड, ग्राम फाफाडीह का ख. नं. 232, 347/1, 1244/2, 1245/3, 1262

पश्चिम : छोटी रेल्वे लाईन ग्राम फाफाडीह से उत्तर की ओर तालाब का ख. नं. 178 से होकर मंडी रोड तक

दक्षिण : छोटी रेल्वे लाईन ग्राम फाफाडीह का ख. नं. 137 बलौदाबाजार रोड तक

पूर्व : ग्राम पंडरी का ख. नं. 8/1, 2, 3, 18/1, 19/1, 2, 3, 186 एवं बलौदाबाजार रोड, छोटी रेल्वे लाईन तक ग्राम पंडरी का ख. नं. 193.

Raipur, the 3rd January 2007

No. 02/ मिस./ तक. शा./2000/43/II.—It is hereby declared and published for the information of the general public under sub-section (2) of section 50 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 that Raipur Development Authority intend to prepare Town Development Scheme for Katora Talab & Devendra Nagar Scheme under village Fafadih & Tikarapara, Pandari, Raipur, Purena & Amlidih. Boundaries are as follows :-

KATORA TALAB SCHEME

North : Boundary of Tikarapara & Raipur Khas

West : Tikarapara survey No. 287, 288, 289, 283 and boundary of Tikarapara & Raipur Khas

South : Raipur to Dhamtari National Highway Tikarapara survey No. 248

East : Distribution canel Tikarapara survey No. 36 & boundary of Amlidih, Purena canel

DEVENDRA NAGAR SCHEME

North : Fafadih to New Mandi Road Fafadih survey No. 232, 347/1, 1244/2, 1245/3, 1262.

West : Narrow gauge railway line to north direction Fafadih survey No. 178 upto New Mandi Road

South : Narrow gauge railway line Fafadih survey No. 137 upto Baloda Bazar Road

East : Pandari survey No. 8/1, 2, 3, 18/1, 19/1, 2, 3, 186 & Baloda Bazar Road upto Narrow gauge railway line Pandari survey No. 193.

श्याम बैस,
अध्यक्ष.